इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जून 2019—आषाढ़ 3, शक 1941

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. एफ. 01-9-2019-अड़तीस-3.—देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के कार्यकलापों एवं कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री के आधार पर राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किये बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54 और 67 के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 24 जून, 2019 से लागू होंगे.

No. F 01-9-2019-XXXVIII-3.—Whereas, on the basis of a report and material which has been made available regarding mismanagement of affairs of the Devi Ahiliya University, Indore, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) without detriment to the interest of the University and it is expedient in the interest of the University so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, directs that the provisions of Section 13, 14, 20 to 25, 40, 47, 48, 54 and 67 of the said Act shall apply to the said University from 24th June, 2019 subject to the modifications specified in the Third Schedule of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलीना सिंह, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.